राजस्थान सरकार राजस्थान,अजमेर



कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू पी एस एवं अन्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत हेतु बोली

एकल चरण – दो लिफाफा बोली

La al

30

0

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

बोली दस्तावेज

दरें आमंत्रण हेतु दो लिफाफा बोली

1.	बोली आमंत्रण की सूचना (Notice Inviting Bids)	03	
2.	बोली डाटा शीट (Bid Data Sheet)	04-11	
3. 4.	MAXIMUM PERIOD OF PROVIDING SERVICE बोली जमा सूची एवं मूल्य अनुसूची (Bid Submission Sheet & Price Schedule)	12 13-18	
5.	बालीदाताओं हेतु निर्देश (Instructions to Bidders)	19-23	
6.	बोलीदाता द्वारा घोषणा (Declaration by Bidders)	24	
7.	उपापन की सामान्य शर्तें (General Conditions Of Contract)	25-29	
8.	करार का प्रारूप (Form Of Agreement)	30-31	
9.	Annexure-A: Compliance with the Code Of Integrity and No Conflict of Interest	32	
10.	Annexure-B: Declaration by Bidder Regarding Qualification	33	
11.	Annexure-C: Grievances Redressal during Procurement Process	34-36	
12.	Annexure-D : Additional Conditions of Contract	37	
13.	Annexure-E: Declaration regarding Qualification	38	
14.	Annexure-F: Declaration regarding Blacklisting/Debarred	39	
15.	Annexure-G: Declaration regarding Work Experience	40	4
	me h	(W)	

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

निबंधक ,

राजस्व मण्डल राजस्थान,

अजमेर

दूरभाष : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई : मेल-bor-rj@nic.in

1. बोली आमंत्रण की सूचना NOTICE INVITING BIDS

Nib No. BOR/ Service /Rs.4,00,000/Open Bid/2022/ 1 Dt. :2)/01/2022

1. राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा मण्डल कार्यालय एवं मण्डल कार्यालय से बाहर उपयोग में लिये जा रहे कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू पी एस एवं अन्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत हेतु अधिकृत डीलरों / पंजीकृत बोलीदाताओं / वास्तविक डीलरों से शर्तरहित, मुहरबंद, एकल चरण दो लिफाफा बोलियाँ आमंत्रित की जा रही है :--

क्र.सं. वार्य का विवरण			
4	मण्डल कार्यालय एवं मण्डल कार्यालय से बाहर उपयोग में. लिये जा रहे कम्प्यूटर,		
1,	प्रिन्टर, यू पी एस एवं अन्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।		

2. बोलियों के मूल्यांकन दर संविदा के अधिनिर्णय में बोली दस्तावेज में यथा वर्णित कीमत और / या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

- 3. अनुबंध की शर्तें, मुल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फार्म, डिजाइन/ड्राईंग स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति अनुसूचि, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते है या अप्रतिदेय राशि रू. 200/— नगद या बैंकर्स चैक या अधिसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करके प्राप्त कर सकते है। साथ ही बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor पर देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते है एवं बोली दस्तावेज का मूल्य यूजर चार्जेज/प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, दस्तावेज जमा करने के साथ बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 4. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
- 5. बोलीयाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख दिनांक :31/01/2022 को समय 04:00 PM पर खोली जाएगी।
- 6. उपापन संस्था सर्वाधिक कम राशि वाली बोली (L-1) को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है, एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
- 7. बोलीदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी 'पैन कार्ड की प्रति' जमा करनी होगी।
- 8. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एव संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। निविदा दर संविदा हेतु आमंत्रित की जा रही है।

9. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।

31

00

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

2. BID - DATA -SHEET

Name of the subject matter	AMC for Computer and Allied Items
Nature of subject matter	Service
Method of procurement	Open Bidding
Cost of BID DOCUMENT (non-refundable)	Rs 200 /- (Rupees Two Hundred only)
Estimated Cost	Rs.4,00,000 (Rupees Four Lacs only)
Date of Uploading of BID DOCUMENT	21-0%-2022
Last Date of Bid submission & Time	31-01-2022 Time 01:00 P.M.
Bid Opening Date , Time & Place	31-01-2022 Time 4:00 P.M., Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
Websites for downloading Bid/BID DOCUMENT/ Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc	www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor www.sppp.in
Proposal & BID Validity	90 days from the last date of bid submission
Bid Security	2% (Rs.8000)

20

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Scope of Work

• Name of Subject Matter : AMC for Computer and Allied Items

• Specification of Subject : Attached Matter

• No of Item : Attached

• Work Period : For a period of 1 year from 01.04.2022 to 31.03.2023

Delivery Location : Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer, Yojna Bhawan, Jaipur & NIC office Vidhyadhar Nagar, Jaipur

al 30

M/L

The details of the equipments to be covered under AMC contract are given below : यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Table - 1 of Equipments

S. No	Equipments	Details of the Equipments	Make / Brand	Nos.	Year of Purchase
		Core i5 With TFT Monitor - 37 Intel (R) Core i5-4460 3.20 GHz, 500 GB HDD, 18.5" Color TFT Monitor, 4 MB RAM, DVD Writer	Acer	37	2015
		Pentium Core 2 Duo - 42 Pentium Core to Duo with 17" TFT , 2 GB RAM, 250 GB HDD			2007
1	Desktop Computer	Pentium IV With CRT Monitor - 10 Pentium IV 1.9 Ghz, 80/160 GB HDD, 1.44 FDD, / 17"/15" Color Monitor, 256/512 MB RAM, CD Writer/Combo Drive	HCL 52	2006	
		HP Core i5, 4 GB RAM, 1 TB HDD with LED monitor	Acer	10	2018
2	Computer Touch Screen Kiosk	Pentium IV With Touch Screen TFT Monitor Pentium IV 1.9 GHz, 80 GB HDD, 1.44 FDD, 40 GB HDD/ 15" Color Touch Screen CRT Monitor, 256 MB RAM, CD Writer	HCL	2	2006
3	Laser Printers	HP pro Laserjet M104a	HP	10	2018
		MFD Ricoh-SP 3510 SF, ADF Scanner with Multi Functional Device	Ricoh	20	2015

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

कल व	वरण – दा लिफाफा बाल				
		HP-5200 , Paper Handling A4, Legal Size High speed Network Printer	НР	2	2007
		HP-1010 , Paper Handling A4, Legal Size	НР	4	2005
		HP-1320 Paper Handling A4, Legal Size	HP	10	2006
		HP LJ-1007 , Paper Handling A4, Legal Size	HP	40	2010
		MFD HP-3390, ADF Scanner with Multi Functional Device	HP	1	2007
		HP Laser JET 3050 (Chairman JPR Office)	HP	1	_
4	Scanner	HP-8350 Legal / A4 with ADF Facility	HP	1	2007
		HP Core i5, 4 GB RAM, 1 TB HDD	HP	10	2018
5	Laptop	Sony Vaio, Core 2 Duo, 2 GB RAM, 250 Gb HDD,	Sony	5	2010
		1 KVA UPS 12 V 26 AH battery - 2	Power Plus	42	2010
		1 KVA UPS 12 V AH battery - 2	Microtech	10	2015
6	UPS	E&C 2 KVA UPS 12 V 26 AH battery -	E&C	1	2007
		600 VA UPS 7.2 AM 12 V Battery - 1	Beetel	15	2012
		6 KVA 12 V 42 AH battery - 15	Power Plus	1	2012
7	LAN Items	Entire LAN Setup in Board as per following table	As per follow	ing list	
0	Dar cada Casasa		Datalogic	14	2010
8	Bar code Scanner		Honeywell	4	2014

de

6

4

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर बोली दस्तावेज – सेवा/Service एकल चरण – दो लिफाफा बोली Other Item installed at NIC VDN, Jaipur

S.No.	Equipments	Details of the Equipments	Nos.	Year of Purchase
1	Computer	Computer (Installed at NIC Jaipur VDN)	10	-
2	Printer	HP LJ M2727 NF (Installed at NIC Jaipur VDN)	2	-

Active Part of the LAN

S.No.	Item Name	No's	Purchase Month/Year
1.	Cisco Router 1800 Series 1841	1	2007
2.	Cisco 24 Port Managed Switch	4	2007
3.	24 Port Unmanaged Switch	5	2007
4.	16 Port Unmanaged Switch	2	2007
5.	8 Port Unmanaged Switch	1	2007
6.	Wi-Fi Access Point	5	2007

Passive Part of the LAN Items

S.No.	Item Name	No's	Purchase Month/Year
1.	24 Port Patch Panel	9	2007
2.	CAT - I/O BOX	140	2007
3.	CAT -6 Cable (Pack of 305 Meters)	30	2007
4.	Patch Cord	100	2007

de

4

4

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में/ राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Pre-Qualification Requirement

- 1. बोलीादाता को अंकित विषयवस्तु के मामलों में कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु बोलीदाता को Undertaking प्रस्तुत करनी होगी। (Annexure G)
- 2. बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि " बोली प्रस्तुत करते समय वह किसी उपापन संस्था/राज्य सरकार द्वारा Blacklisted / Debarred नही हैं और उपापन प्रक्रिया के दौरान यदि कुछ ऐसा होता है तो वह मण्डल कार्यालय को शीघ्र सूचित कर देगा "। इस हेतु बोलीदाता को Undertaking (Self-Declaration) प्रस्तुत करनी होगी। (Annexure F)
- 3. बोलीदाता को बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमित के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे और बोली के साथ हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- 4. बोली के साथ बोली दस्तावेज का मूल्य रू. 200 / (अक्षरे राशि रूपये दो सौ मात्र) का प्रमाण—पत्र आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
- 5. बोलीदाता को उक्त वांछित आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा और बोली के साथ वांछित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे अन्यथा बोली को Pre-qualify नही मानते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

d

1

h

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में/ राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Checklist BID DATA SHEET

(Has to be filled by Bidder necessarily)

1. Pre-qualification Requirement (Technical Envelope)

S.No.	Name of Requirment	Response	Attached at page no.
1.	Self declaration regarding Blacklisting / Debarment	Yes / No	
2.	Signed Bid Document	Yes/No	
3.	Bid Document Fee	Yes/No	
4.	PAN Card Copy	Yes/No	
5.	Undertaking of Work expirence certificate	Yes/No	
6.	Self declaration regarding Service Center at Ajmer	Yes/No	

2. Financial Requirement (Financial Envelope)

S.No.	Requirement	Result	
1.	Price Schedule in required format	Yes/No	

902

0

h,

gl



Technical Requirement

- 1. Tender Document Fee Rs.200/-
- 2. Undertaking of Work expirence certificate
- 3. Self declaration regarding Blacklisting/ Debarment
- 4. Self declaration regarding Service Center at Ajmer
- 5. Signed Bid Document
- 6. Copy of PAN card
- 7. उक्त अंकित वांछित मापदण्डों को पूरा करते हुये आवश्यक दस्तावेज हस्ताक्षरयुक्त बोली दस्तावेज बोली के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा बोली पर विचार किया जाना संभव नही होगा।

Financial Requirements

- बोलीदाता द्वारा विषय—वस्तु की दरें निर्धारित प्रपत्र मे ही अंकित की जानी है अन्यथा बोली को अस्वीकृत माना जायेगा।
- 2. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली का प्रपत्र एक अलग लिफाफे में सीलबन्द रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- 3. ध्यातव्य रहे कि निर्धारित Price-schedule मे Rate समस्त करों सहित चाही गई है।

al 30

TABLE INDICATING MAXIMUM PERIOD OF PROVIDING SERVICE

S.No	Equipment	Make / Brand	Nos.	Maximum service cum problem solving period allowed from the day of reporting the problem
1	Desktop Computer	Acer	47	Within 24 hours from the logged
		HCL	52	compliant
2	ComputerTouch Screen Kiosk	HCL	2	
	Laser Printers	Ricoh	20	
3	Laser Frincers	HP	68	
		HP	1	
4	Scanner	HP	1	Within 24 hours from the logged compliant
5	Laptop	Sony	5	Within24 hours from the logged
	Laptop	HP	10	compliant
		Power Plus	42	Same day / provide
		Microtech	10	standby of same configuration on
6	UPS	E&C	1	same day
		Beetel	15	
		Power Plus	1	
7	LAN Items	As per list belo	OW.	Same day / provide standby of same configuration on same day
		Datalogic	14	Same day / provide standby of same
8	Bar Code Scanner	Honeywell	4	configuration on same day

al

200

0

3. बोली जमा सूची (Bid Submission Sheet)

दिनां	ず
बोली	आमंत्रण सूचना क्रमांक
सेवामे	i,
निबंध	ाक ,
राजस	व मण्डल राजस्थान,
अजम्	रेर ।
दूरभा	ष : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई : मेल-bor-rj@nic.in
हम, ३	अद्योहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं किः
(i)	हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नही हैं।
(ii)	हम बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशिन एवं अन्य निर्देशों सिहत) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूचि में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित माल एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।
	(ক)
	(অ)
(iii)	हमने उपापन प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित मदों हेतु राशि का भुगतान कर दिया है।
	(क) किसको भुगतान किया है(उपापन संस्था का नाम) : निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
	(ख) पता : अजमेर।
	(ग) किस कारण/किस मद हेतु : दर संविदा
	(घ) राशि
	(यदि कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो 'नहीं' अंकित करें एवं छूट हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।)
(iv)	बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालाविध तक वैद्य रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैद्यता अविध से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।
(v)	यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो उस के सही संपादन हेतु हमारे द्वारा कुल प्रदाय राशि का 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा करवाया जायेगा या नियमानुसार इस हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति की घोषणा की जायेगी।
(vi)	हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलत करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।
	यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

- (vii) हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्ते पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नही है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नहीं ले रहे है।
- (viii) हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित ईकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उपबोलीदाता, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नही किया गया है।
- (ix) जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नहीं हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र / स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।
- (x) आप न्यूनतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते है।
- (xi) उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनकी लेखा जॉच कर सकेगा।

(xii) अन्य यदि कोई हो :-....

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:-
किसकी ओर से(बोलीदाता का नाम):
दिनांक:
टेलीफोन न0:ईमेल:ई
स्थाई पता

मूल्य अनुसूची (Price Schedule)

(पृथक लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करें)

बोलीदाता का	नाम :-		
बोली आमंत्रण	की सूच	ना क्रमांक	

Price Quotation

BID FOR AMC OF SERVERS, COMPUTERS, UPS, PRINTERS, LAPTOPS AND LAN ITEMS

S. No	Equipments	Details of the Equipments	Make / Brand	Nos.	Unit Rate (per annum)	Total Amount (in words)	Total Amount in figures
					(1	ncluding all	Taxes)
1	2 .	3	4	5	6	7	8
		HP Core i5, 4 GB RAM, 1 TB HDD with LED monitor	Acer	10			
		Core i5 With TFT Monitor - 37 Intel (R) Core i5-4460 3.20 GHz, 500 GB HDD, 18.5" Color TFT Monitor, 4 MB RAM, DVD Writer	Acer	37			
1	Desktop	Pentium Core 2 Duo - 42 Pentium Core to Duo with 17" TFT , 2 GB RAM, 250 GB HDD Pentium IV With CRT Monitor - 10 Pentium IV 1.9 Ghz, 80/160 GB HDD, 1.44 FDD, / 17"/15" Color Monitor, 256/512 MB RAM, CD Writer/Combo Drive	HCL	52			
		al-			1		1

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।





एकल	चरण – दो लिए	काफा बोली				
2	Computer Touch Screen Kiosk	Pentium IV With Touch Screen TFT Monitor Pentium IV 1.9 GHz, 80 GB HDD, 1.44 FDD, 40 GB HDD/ 15" Color Touch Screen CRT Monitor, 256 MB RAM, CD Writer	HCL	2		
		HP pro Laserjet M104a	НР	10		
		MFD Ricoh-SP 3510 SF, ADF Scanner with Multi Functional Device	Ricoh	20		
		HP-5200, Paper Handling A4, Legal Size High speed Network Printer	НР	2		
3	Laser Printers	HP-1010 , Paper Handling A4, Legal Size	НР	4		
		HP-1320 Paper Handling A4, Legal Size	HP	10		
		HP LJ-1007 , Paper Handling A4, Legal Size	НР	40		
		HP Laser JET 3050 (Chairman JPR Office)	НР	1		
		MFD HP-3390, ADF Scanner with Multi Functional Device	HP	1		
4	Scanner	HP-8350 Legal / A4 with ADF Facility	HP	1		
5	Laptop	HP Core i5, 4 GB RAM, 1 TB HDD	HP	10		
		Sony Vaio, Core 2 Duo, 2 GB RAM, 250 Gb HDD,	Sony	5		
6	UPS	1 KVA UPS 12 V 26 AH battery - 2	Power	42		
		1 KVA UPS 12 V AH battery - 2	Microtech	10	,	

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी श्री असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

29

		E&C 2 KVA UPS 12 V 26 AH battery - 16	E&C	1	
		600 VA UPS 7.2 AM 12 V Battery - 1	Beetel	15	
		6 KVA 12 V 42 AH battery - 15	Power	1	
7	LAN Items	Entire LAN Setup in Board	As per LAN it table (Sch. II)		
8	BAR Code Scanner		Honeywell	4	
0			Datalogic	14	
9	Computer	Computer (Installed at NIC Jaipur VDN)		10	
10	Printer	HP LJ M2727 NF (Installed at NIC Jaipur VDN)	HP	2	

Grand Total in Words:-

Please Note:-

- Rate shall be written both in words and figures. There should not be errors and/or overwriting.
 Corrections if any should be made clearly and initialed with dates. In case of difference in rates written in words and in figures, the rates given in words will be treated as offered rate.
- Quantity of Items may increase or decrease.

हस्ताक्षर:
नाम:—
पदनामः—
किसकी ओर से अधिकृत(बोलीदाता का नाम):—
दिनांक:
टेलीफोन न0:फॅक्स न0:ईमेल:

M

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मोन्य होंगे।

h

4. INSTRUCTION TO BIDDERS बोलीदाताओं हेत्र निर्देश

- 1. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।
- 2. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली बोली पद्धति के द्वारा मण्डल कार्यालय में Computer, Printer, UPS and Allied Items के वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत हेतु की जा रही है। उपापन हेतु एकल चरण दो लिफाफा पद्धति अपनाई जानी है, जिसमें तकनीकी दस्तावेज मूल्य का प्रमाण पत्र, बोली प्रतिभूति राशि, विषयवस्तु का स्पेशिफिकेशन, हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें एवं वित्तीय बोली (निर्धारित एवं संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत करनी होगी।
- 3. All other conditions shall be prevail as mentioned in the bid document in the respective sections.
- 4. The Bidder or his consortium partner(s), if any, should not be blacklisted / debarred / banned by any procuring entity at the time of submitting this bid.
- 5. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract signed and executed between the procuring entity and successful Bidder.
- 6. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal. Clarification(s) may be sought before submission of the bid.
- 7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाडे (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी उपापन संस्था के कार्यालय के परिसर पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
- 8. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में जी.एस.टी. राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।

9. बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों का एक मूल सैट तैयार करेगा जो बोली कहलायेगी और इस पर 'मूल' अंकित किया जायेगा।

d ov 00

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

- 10. विनिर्दिष्ट समय एंव तारीख के बाद बोलियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि डाक से प्राप्त होती है तो बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी।
- 11. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों में नियमानुसार ही सुधार किया जा सकेगा।
- 12. बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन हेतु केवल उन बोलियों को सम्मिलित किया जायेगा, जो कि अपेक्षित बोली प्रतिभूति, प्रक्रिया फीस या उपभोक्ता प्रभारों और बोली दस्तावेजों की कीमत के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त की जाती है।
- 13. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
- 14. बोली की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्ण उपापन संस्था सफल बोली दाता को उसकी बोली स्वीकार कर लेने की सूचना प्रदान करेगी।
- 15. सफल बोली दाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निविदा राशि के 5 प्रतिशत जमा करवानी होगी। जिनकी बोलियाँ स्वीकार नहीं की गई है, उनकी बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय, सफल बोली लगाने वाले के साथ हस्ताक्षरित होने और कार्य संपादन प्रतिभूति प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र लौटा दी जायेगी।
- 16. उपापन प्रक्रिया मे यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार अपील की जा सकेगी।
- 17. बोलीदाताओं द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों की सत्यता का उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता पर होगा।
- 18. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।
- 19. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्ते अधिरोपित कर सकेगी।
- 20. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।
- 21. कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि हैं, और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत क्वोट (Quote) करता है/कम करता है, तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या क्वोट (Quote) करने की तारीख स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्ानुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समय कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने के लिए सहमत नही होती है तो, उनके साथ आगे और संव्यवहार नही किया जायेगा।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

General Terms and Conditions

- 1. The approved Bidder shall be deemed to have carefully examined the conditions, specifications, size, make and drawings, etc., of the equipments to be covered under AMC in office, if he has any doubts as to the meaning of any portion of these conditions or of the specification, drawing, etc., he shall, before signing the contract, refer the same to the Procuring Entity and get clarifications.
- AMC Provider shall provide maintenance service from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. (Monday through Saturday) to keep the machine in good working order. The service shall consist of preventive and corrective maintenance of the computer systems and will include supply and replacement of original/genuine parts.
- 3. All spares (electronic/non-electronic) parts shall be covered under AMC by the AMC Provider and no additional cost would be paid after the AMC charges.
- 4. The contract does not cover any application software but the operating system and utility software etc., should be treated as part of Contract items and AMC Provider shall be held responsible for failure of these items if originally provided by them i.e. if the AMC is done from the AMC Provider directly considering the propriety nature of Hardware/Software.
- 5. AMC Provider shall provide two preventive maintenances on monthly basis in the first and third week of the month.
- 6. AMC Provider shall provide a 5% standby system/printer/UPS of similar configuration when the fault is not rectifiable as mentioned in the table of Annexure-1 after or machine is taken out of site for any such repair.
- 7. The AMC shall include reloading OS, Anti Virus installation and other s/w installations needs.
- 8. The AMC firm should have experience in performing AMC work in any other Govt. Office / Department /Private /Public sector on similar type of System / Hardware
- 9. All the spares supplied & replace (items covered under AMC shall be of the best quality, to the specifications, trade mark laid down for them and in strict accordance with the approved standard samples and in case if any materials of which there are no standard or approved supplies, the supplies shall be of the very best quality and description obtainable in India. The decision of the accepting authority shall be final as to the quality of the spares and shall be binding upon the AMC Provider and in case any of the articles supplied not being approved and expenses or loss caused to AMC Provider as a result of rejection or replacement of spares shall be entirely at the account of the AMC Provider.
- 10. The firm should maintain sufficient stock of spares parts and other required equipments in the Board to replace the essential defective equipment immediately.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

20

- 11. Firm will have to exclusively depute one qualified and competent service engineer during all working days at BOR Ajmer and sufficient qualified service engineer who are expert in UPS, printer and laptop he will visit twice a week (Monday and Thursday) to resolve pendency if any, who shall be responsible to provide all necessary services on behalf of the firm. The Board of Revenue Ajmer shall not be liable for any payment/ Salary to that engineer. He should not leave office without prior permission. If required the engineer may also be called by the Board on any holiday. Frequent changes in Resident Engineer shall not be allowed.
- 12. The authorized representative of Board of Revenue shall at all reasonable time access to the AMC Provider premises and shall have the power at all reasonable time to inspect and examine the materials and workmanship of the stores.
- 13. The Board of Revenue is free to make any attachment to the machine, but consent of AMC Provider shall be obtained in case of up gradation of machine, if the shifting of equipment is felt necessary the AMC Provider shall provide maintenance at the site itself without any extra charges.
- 14. The Board of Revenue will provide all proper power source and other environmental conditions as felt necessary for equipment, however, it is AMC Providers responsibility to ensure that the conditions are to their satisfaction before executing the contract.
- 15. AMC Provider shall record its recommendations (if any) on Customer Cell/Service Slip as well as in Maintenance Register. The two records should be signed by the respective representatives.
- 16. No advance payment shall be made. Payment shall be made on quarterly basis only, after successful completion of AMC for that quarter, after making deduction, if any.
- 17. Whenever the system cannot be repaired on site within the specified limits, the AMC Provider should provide an alternative genuine company equipment of matching specification, which will be replaced within the period given in the annexure-1 with the equipments of the same make/model. But in case of computer system, the original CPU will be restored. Failing to these, the penalty clauses will apply.
- 18. The cost of all the spares that are replaced or repaired will be covered under AMC including transportation. The replaced part will become part of the serviced and repaired equipment. The part which become out of order will be returned.
- 19. If in case the resident engineer does not come to Board of Revenue on a particular day, firm will arrange substitute engineer for that day.
- 20. After expiry of AMC, the final payment shall be released only after verification of specifications of all hardware by the concerned officer along with Resident engineer.
- 21. When the AMC Provider is unable to provide the maintenance service within the specified period, the Board of Revenue shall be entitled to get the maintenance services from elsewhere after issuing notice to the AMC Provider, but on his (i.e. AMC Provider) risk and cost, the maintenance or any parts thereof which the AMC Provider has failed to provide or if not available, the best and nearest available substitute thereof or to cancel the contract, and the AMC Provider shall be liable for any, loss or damage which the Board of Revenue may sustain by reason of such failure on the part of the


यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति) में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

CON

2:

AMC Provider. But the AMC Provider shall not be entitled to any gain on such maintenance service made against default. The recovery of such loss or damage shall be made from any sums occurring to the AMC Provider under this or any other contract with the Government. If recovery is not possible from the bill and the AMC Provider fails to pay the loss or damage within one month, the recovery shall be made under the Rajasthan Public Demands Recovery Act 1952 or any other law for the time being in force. While making the risk maintenance the Board of Revenue may exercise his own discretion and service will be taken from another source as per rules. Incase Non-maintenance or non supply of spares, will be treated, as a breach of contract and the Board of Revenue shall take action accordingly.

- 22. Some computers and allied items are installed at Yojna Bhawan, Jaipur, One computer each at DLR office, Jaipur and Jodhpur which are also to be covered under this AMC.
- 23. All Taxes, duties and levies have to be borne by bidder.
- 24. It is necessary for bidder to have a service center in Ajmer which will be verified by BOR Ajmer Officials.



यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुस्म ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होती

5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में बोलीदाता द्वारा घोषणा

(Declaration by Bidder in Compliance of section 7 of Act)

-: बोलीदाता द्वारा घोषणा :-

आपके द्वाराउपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण

	सूचना क्रमांक के परिप्रेक्ष्य में हमारी जमा की गई बोली के क्रम में, मैं / हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करते हैं, कि :
(i)	मै/हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजो के अनुसार आवश्यक वृतिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्त्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते है।
(ii)	मै/हम, ऐसे करो को जो कि बोली दस्तावेजों के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूं/करते है।
(iii)	मै/हम, यह घोषणा करते है कि मै/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ/है, या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूगाँ/रखेगे, न अपने कारोबार के कियाकलाप निलबिंत रखूगाँ/रखेगे, ओर न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियों के अध्यधीन होऊँगा/होगे।
(iv)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्व हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है,
(v)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें,
(vi)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म को राजस्थान में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड / डिबार नहीं किया गया है।
(vii)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म विगतवर्षों से पूर्वकथित
	Computer, Printer, ups and Allied Items की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य कर रही
(viii) मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमने निविदा दस्तावेज के नियमों अथवा शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्ये पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
(ix)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमने रसीद / चालान संराशि रू. 200 का भुगतान कर क्रय किया है।
(x)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि बोली प्रतिभूति राशि नकद / बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / ईग्रास संख्या के माध्यम से जमा करवा रहे है।
	दिनांक :-
	रथान :-
	पदनाम:
	पता मय दूरभाष:
	यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति है. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे

6. उपापन/अनुबंध/करार की सामान्य शर्ते

(General Conditions of Contract)

1. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों मे उल्लिखित "सत्यनिष्ठा संहिता" की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।

. उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार "हित विरोध" की स्थिति

उत्पन्न नही होनी चाहिए।

3. कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहाँ बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में बोली लगाने वाले के रूप में पात्र हो सकते है। माल के उपापन की दशा में बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विनिदिष्ट रूप विधान में उसके आवश्यक सबूत देगा। साथ ही किसी बोली लगाने वाले की पात्रता नियमों में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगी।

लघु उद्योगों, रूग्ण उद्योगों या अन्य प्रकार के उपक्रमों के मामलों में बोली प्रतिभूति का संपादन नियमानुसार किया जायेगा। नियमों में उल्लेखित मामलों में बोली प्रतिभूति समपृहत की जा सकेगी।

असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का नियमानुसार प्रतिदाय कर दिया जायेगा।

5. उपापन संस्था द्वारा, बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात् यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।

3. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 60 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात् जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो,

उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।

बोली दस्तावेजों में विर्निदिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत

प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।

8. बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रृटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा संपरीक्षित लेखा विवरण,

जीएसटी प्रमाण-पत्र, PAN इत्यादि भी सम्मिलित किये जायेंगे।

10. एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धतियों के सिवाय, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात कोई बातचीत नहीं की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था में ही माँगे जायेंगे। अन्यथा बातचीत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार की जा सकेगी। तत्पश्चात कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

11. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए

शर्ते अधिरोपित कर सकेगी।

12. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रदद करने और उपापन के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने

योग्य होगी।

14. राजस्थान के बाहर की फर्मों की तुलना उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही हैं, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट (Quote) की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व अम्मिलित किया जायेगा।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

h

15. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों मे उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।

6. बोलियों के मूल्यांकन और उपापन के अधिनिर्णय में नियमानुसार कीमत और/या क्रय अधिमान पर

विचार किया जायेगा।

17. मूल्यांकन कसोटी के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोली को सफल घोषित किया जायेगा। सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के सुसंगत होने के बाद ही उपापन संस्था द्वारा उपापन का अधिनिर्णय किया जा सकेगा।

18. उपापन के अधिनिर्णय के समय पर नियमानुसार सर्वाधिक लाभप्रद बोली कीमत पर उपापन की विषय वस्तु का परिणाम एक से अधिक बोली दाताओं के मध्य विभाजित किया जा सकेगा, यदि नियमानुसार

ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

- 19. बोली के मूल्यांकन के समय सर्वप्रथम Pre-Qualification Requirement का मूल्यांकन किया जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी। तकनीकी मूल्यांकन में जो बोली तकनीकी रूप से स्वीकृत होगी, उन्ही की वित्तीय बोलियाँ खोली जायेगी और इस संबंध में संबंधितों को सूचित कर दिया जायेगा।
- 20. आवश्यक PQ एवं तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई न्यूनतम दर वाली बोली को सफल बोली माना जाने हेतु विभाग बाध्य नही होगा।

21. बोलियों का मूल्यांकन अंकित तकनीकि मापदण्डों, गुणवत्ता एवं अंकित की गई राशि को सम्मिलित करते

हुए किया जायेगा ।

22. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नही जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

23. कार्य संपादन प्रतिभूति आवश्यक होगी तथा साथ ही नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा ली जायेगी, जहाँ इसके लिए नियमों में प्रावधान किया गया हो। कार्य संपादन प्रतिभूति नियमों के विहित प्रारूपों में दी जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम सामान्यतया माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 5% होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार किया जा सकेगा।

24. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार गैर न्यायिक शपथ—पत्र पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर उपापन उपापन / करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में

पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।

26. विनिर्देश:-

- (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर नियमानुसार मार्क अंकित होना चाहिए।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगै।

हो तो, वह उस माल आदि को या उसके भाग को, जिसे उपापन संस्था द्वारा रद्द किया गया है, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षिति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्तों के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से उपापन के अधीन या अन्यथा उस संम्बंध में उपापन संस्था के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

27. उपापन संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में, बोलीदाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख रखाव (maintenance) एवं मरम्मत करने के लिये आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

28. उपापन संस्था या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधी सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समय पर माल / उपकरण / मशीन की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी। तथा बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, का पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिसमें उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उस डीलर के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ठ हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

29. अनुसूची में अंकित वस्तुओं की बोलियों के साथ उचित रूप से पैक की गई उपापन वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो उपापन संस्था मे प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाली उपापन संस्था द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी

जायेगी।

30. परीक्षणों के मामले में, बोलीदाताओं की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जायेंगे। तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जायेगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जायेगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जायेगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेखों के लिए प्रतिधारित किया जायेगा।

31. परीक्षण प्रभार उपापन संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों

या विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जाऐंगे।

32. उपापन की विषय वस्तुएं कार्यालय परिसर पर सही दशा में सुपुर्द की जायेगी। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसेः युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा ऐसे व्यय किये जाते है तो उपापन संस्था से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि उपापन संस्था द्वारा चाहा गया हो तो उपापन संस्था की लागत पर यह बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जा सकेगा।

33. बोली प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप मे समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता उपापन संस्था से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

34. उपापन संस्था परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार उपापन की किसी विषयवस्तु के उपापन के लिये मना कर सकती है या विर्निदिष्ट परिमाण से कम उपाप्त कर सकती है या अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिये पुनरादेश नियमानुसार दिया जा सकेगा।

बोलीदाता अपनी उपापन को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा

या उप-भाड़े (Sub Let) पर नही देगा।

36. विवादास्पद मदों के संबंध में, भुगतान योग्य राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक राशि रोकी जायेगी। तथा उक्त विवाद का निस्तारण हाने पर ही रोकी गई राशि का भुगतान किया जायेगा। उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम, विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।

37. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उस वस्तु के मूल्य के लिए की जायेगी, जिनका बोलीदाता प्रदाय करने मे

असफल रहा है।

35.

(क) विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए – 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए - 7.5 प्रतिशत।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10 प्रतिशत।

प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण उपापन अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उपापन संस्था को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल प्रदाय करने में उत्पन हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुदर्गी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी। परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किये गये माल की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं उपापन संस्था के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से रोकी जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

38 दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलो के सिवाय अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा।

(क) यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तिय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई है का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नही दिये गये है, उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।

ख) सामान्यतया उपापन की विषय वस्तु का भुगतान बोलीदाता द्वारा नियमानुसार उचित प्रारूप मे

उपापन संस्था के कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकेगा।

39. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।

40. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।

41. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप की जायेगी, तथा साथ ही जहाँ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें ।

. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा

तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

ता)
(11)

नाम:
पदनाम:
पता:—
टेलीफोन न0:
फैक्स न0
ईमेल

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

:: करार पत्र ::

जाएग राज्य किया	यह करार पत्र आज दिनांकमाहसनसनको एक पक्ष के(जिसे आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया , इसके उत्तराधिकारियों,निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशीतियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय है बीच सम्पन्न किया गया।
1.	चूँकि अनुमोदन प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य केको उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसकी शाखा कार्यालयो को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी माल की बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गये तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालममें दी गयी दरों पर प्रदाये करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2.	चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपयेकी राशिनिम्न प्रकार से जमा करायी हैं:-
i.	नकद / बैंक ड्राफ्ट / चालान संख्या / बैंकर्स चेक संख्यादिनांक द्वारा,
ii.	विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रेहन रखकर डाकघर बचत पास बुक के रूपये में,
iii.	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों / डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स / किसान विकास पत्रों या अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत किन्ही अन्य स्क्रिप्ट / इन्स्ट्रूमेंट के रूप में, यदि इन्हें सम्बंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मुल्य पर स्वीकार किये जायेंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए कार्ये संपादन प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों रूप से औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दिया गया हो।
3.	अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैं:—
i.	इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों परके मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ताओर उसकेमें तथा बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तु का विधिवत प्रदाय करेगा।
ii.	बोली आमन्त्रण सुचना संख्यादिनांकसे संलग्न खुली प्रतियोगिता बोली/दर संविदा हेतु बोली एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुडी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगे।
iii.	बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्यातथा सरकार द्वारा जारी किया पत्र संख्याभी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किया गये है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
4.	(क) सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त माल का उपर्युक्त तरीके से विधिवत प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालना करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार
	(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किये गये अनुसार होगी:-
	1
	.2
	.3

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

5. माल की सपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी:—

क्रम संख्या	मदों की संख्या	सुपुर्दगी अवधि

- 6. (1) यदि परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—
 - (i) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए- 2.5 %
 - (ii) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए- 5 %
 - (iii) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए- 7.5 %
 - (iv) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए— 10 %

टिप्पणी-

- (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 होगी।
- (iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित की होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न की प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो, जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
- 7. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
- 8. बिड प्रपत्र (RFP) में अंकित तालिका Maximum service cum problem solving period allowed from the day of reporting के उल्लंघन किये जाने पर संवेदक पर प्रतिदिन प्रत्येक आइटम हेतु क्त की शास्ति आरोपित की जाएगी जिस बाबत राजस्व मण्डल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

इससे साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक.....माह....सन 20.....को अपने हस्ताक्षर

किये।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक

दिनांक

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

साक्षी संख्या 02

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure A: Complaince with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- A. Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- **B.** Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- D. Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- F. Obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- G. Disclose conflict of interest, if any; and
- H. Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- A. Have controlling partners/shareholders in common; or
- B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- C. Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- **D.** Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's
- E. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more then one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- F. The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or
- G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

	Declaration by the Bidder
their No	n to my/our Bid submitted to
	I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
	I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
	I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct ro the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5.	I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:
6.	Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.
7.	Our firm is dealing in the aforesaid procured good i.e. AMC & repair of Computer and Allied Items for the last years (please mention the number of years. minimum one year experience isrequired as per tender document.
8.	I/we have put my/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.
9.	We have purchase the tender document @Rs. 200 vide receipt/challan no
10.	Security deposit is being submitted in the form of cash reeceipt no
Date:	Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is......

The designation and address of the Second Appellate Authority.....

1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or prospective bidder or prospective bidder or second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provisions of confidentiality;

5) Form of Appeal

- a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) Fee for filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the from bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) On the date fixed or hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall
 - i. hear all the parties to appeal present before him; and
 - ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति पें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

2:

FORM No. 1 See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012

App	peal Noof
Bef	ore the (First/Second Appellate Authority)
1.	Particulars of appellant:
	(1) Name of the appellant:
	(2) Official address, if any:
	(3) Residential address:
2.	Name and address of the respondent(s)
	(i)
	(ii)
	(iii)
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.	If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.	Grounds of appeal:
	(Supported by an affidavit)
7.	Prayer:
Pl	ace
D	ate
Appellant's signature	

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

- i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- ii. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under
 - a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and
 - b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

d

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of AMC for Computer and Allied Items in response to their NIB NO.: BOR/ SERVICE /AMC / Open BID /RS.400000/2022/1 Dt.: 21 /01/2022.

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

- 1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
- 2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Mobile No.:

de

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Annexure F: Declaration by the Bidder regarding Blacklisting / Debarred

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of AMC for Computer and Allied Items in response to their NIB NO.: BOR/ SERVICE /AMC / Open BID /RS.400000/2022/ | Dt.: 31/01/2022.

I/We hereby declare that my/our firm has not been **BLACKLISTED** / **DEBARRED** by any Government / Private / Public Department in any way in preceding three years.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Mobile No.:

al

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनिर्मम, 2012 एक नियम, 2013 ही मान्य होंगे।